

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री बनवारीलाल आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 111/2018 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

राजेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बिशनसिंह जाति राजपुत निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-वादी

बनाम

1. अम्मी खां पुत्र याकुब जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. सखी मोहम्मद पुत्र याकुब जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सकीना पुत्री याकुब जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. बागां पुत्री याकुब जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।(फौत)
 - 4/1 शाहसवार (पुत्र)
 - 4/2 ईकबाल(पुत्र)
 - 4/3 वारिस(पुत्र)
 - 4/4 आसीक(पुत्र)
 - 4/5 रियासत अली(पुत्र)
 - 4/6 सैदा(पुत्री)
 - 4/7 फकरा(पुत्री)
 - 4/8 रानीबीबी(पुत्री)
 - 4/9 मरूफा(पुत्री)
5. सावा पुत्री याकुब जाति मुसलमान निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री गुरजीतसिंह पंवार वकील-वादी

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 31/10/19

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये वकील पेश किया गया कि आराजी जरई चक 6 के.डी.डी. के प0न0 115/2 के किला नं0 16ता 18 की 0.759 है0 23ता 25 की 0.759 है0 कुल- 1.518 है0 व चक नं0 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0न0 115/10 के किला नं0 11 की 0.240 है0 12-13 की 0.506 है0 18ता 22 की 1.265 है0 कुल- 2.011 है0 तहसील रावतसर की वादी व प्रतिवादी सं0 1ता 5 के मुश्तर्का कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि जिसका वर्णन अर्जीदावा की मद सं0 2 मे किया गया है का वादी व प्रतिवादी नं0 1ता 5 ने काफी अरसा पुर्व बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त भी हांसील कर लिया था तथा वे इसी अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा उक्त बाहमी बंटवारे में वादी व प्रतिवादी नं0 1ता 5 के हिस्से में निम्न प्रकार से भूमि आयी-

वादी राजेन्द्रसिंह शेखावत के हिस्से में आयी भूमि- चक 6 के.डी.डी. के प0न0 115/2 के किला नं0 24 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा व किला नं0 25 की 0.126 है0 दक्षिणी पासा कुल- 0.253 है0 व चक 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0न0 115/10 के किला नं0 21 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा की व किला नं0 22 की 0.126 है0 दक्षिणी पासा की कुल- 0.253 है0 तहसील रावतसर की भूमि हिस्से में आयी।

प्रतिवादी नं0 1 अम्मी खां, प्रतिवादी नं0 2 सखीमोहम्मद, प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां के हिस्से में आयी भूमि- चक 6 के.डी.डी. के प0न0 115/2 के किला नं0 16ता 18 की 0.759 है0 23 की 0.253 है0 24 की 0.126 है0 उत्तरी पासा की, 25 की 0.127 है0 उत्तरी पासा की कुल- 1.265 है0 भूमि आयी जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं0 2 सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.354 है0 व प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां की ब हिस्सा बराबर 0.911 है0 तहसील रावतसर की भूमि आयी व चक नं0 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0न0 115/10 के किला नं0 11 की 0.240 है0 12-13 की 0.506 है0 18ता 20 की 0.759 है0 21 की 0.126 है0 उत्तरी पासा की 22 की 0.127 है0 उत्तरी पासा की कुल- 1.758 है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं0 2

July
सहायक कलक्टर
उपखण्ड रावतसर



सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.551 है0 व प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां की ब हिस्सा बराबर 1.207 है0 तहसील रावतसर की भूमि आयी।

उक्त भूमि का खाता व लगान अब भी मुश्तर्का है जिससे वादी के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे वादी अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवा जमाबन्दी दुरुस्त करवा उक्त भूमि मुताबिक बाहमी बंटवारा के अलग-अलग दर्ज करवाने का मजाज है तथा यही बिनाय दावा है। वादी ने प्रतिवादी नं. 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा कि वे उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के नाम मुताबिक बाहमी बंटवारा उपरोक्तानुसार अलग-अलग दर्ज करवा लें तथा इसी अनुसार उक्त भूमि का खाता तकसीम करवा ले लेकिन वे कुछ दिन तो लेतोलाल करते रहे, बिल आखिर दिनांक 05.03.2018 बमुकाम घन्नासर तहसील रावतसर में कतेई इन्कार हो गये, लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत दावा है। इस प्रकार दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि आराजी जरई वादी राजेन्द्रसिंह शेखावत चक 6 के.डी.डी. के प0नं0 115/2 के किला नं0 24 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा व किला नं0 25 की 0.126 है0 दक्षिणी पासा कुल- 0.253 है0 व चक 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0नं0 115/10 के किला नं0 21 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा की व किला नं0 22 की 0.126 है0 दक्षिणी पासा की कुल- 0.253 है0 तहसील रावतसर का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 1 अम्मी खां, प्रतिवादी नं0 2 सखीमोहम्मद, प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां चक 6 के.डी.डी. के प0नं0 115/2 के किला नं0 16 ता 18 की 0.759 है0 23 की 0.253 है0 24 की 0.126 है0 उत्तरी पासा की, 25 की 0.127 है0 उत्तरी पासा की कुल- 1.265 है0 जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं0 2 सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.354 है0 व प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां की ब हिस्सा बराबर 0.911 है0 व चक नं0 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0नं0 115/10 के किला नं0 11/1 की 0.240 है0 12-13 की 0.506 है0 18 ता 20 की 0.759 है0 21 की 0.126 है0 उत्तरी पासा की 22 की 0.127 है0 उत्तरी पासा की कुल- 1.758 है0 जिसमें प्रतिवादी सं0 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं0 2 सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.551 है0 व प्रतिवादी सं0 3 सकीना, प्रतिवादी सं0 4 बागां, प्रतिवादी सं0 5 सावां की ब हिस्सा बराबर 1.207 है0 तहसील रावतसर के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार उक्त भूमि का खाता व लगान तकसीम किया जावे तथा इसी अनुसार उक्त भूमि उनके नाम दर्ज कि जावे। वादी ने अपने दावा की ताईद में दस्तावेजों की सुची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी चक 6 केडीडी, 21 एनडब्ल्यूडी बहक राजेन्द्रसिंह वगैरह, फोटोप्रति शपथ पत्र दिनांक 30.10.2017 बहक सखी मोहम्मद पेश किये।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.03.2019 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी वाद में प्रतिवादी सं. 4 फोट हो चुकी थी जिसे सहवन से पक्षकार बना लिया गया था जबकि प्रतिवादी सं. 4 बागा के वारीसान उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार थे। जिन्हे पक्षकार बनाया जावे। वकील प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी सं. 4 बागा के वारीसान को प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/9 पर कायममुकाम किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 को बार बार सम्मन जारी किये जाने पर तथा स्थानीय दैनिक अखबार आदि में विज्ञापन दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने की सुरत में दिनांक 16.08.2019 को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। पत्रावली के मूल प्रतिवादी 1 ता 5 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही होने के बाद पत्रावली पर तनकीआत व साक्ष्य वादी/प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं समझते हुए राजपेरोकार तहसीलदार राजस्व रावतसर से मौका पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार राजस्व रावतसर ने अपने पत्र कमांक 2753 दिनांक 06.09.2019 द्वारा मौका रिपोर्ट मय मूल पटवारी रिपोर्ट पेश की। मुताबिक रिपोर्ट चक 6 के.डी.डी. के प0नं0 115/2 के किला नं0 16 ता 18, 23 ता 25 की 1.518 है0 व चक नं0 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0नं0 115/10 के किला नं0 11 की 0.240 है0 12-13 की 0.506 है0 18 ता 22 की 1.265 है0 कुल- 2.011 है0 तहसील रावतसर की वादी राजेन्द्रप्रसाद 0.506 है. व प्रतिवादी सं0 1, 2 ब.हि.ब. 0.905 है., प्रतिवादी सं. 3 ता 5 की ब.हि.ब. 2.118 है. दर्ज कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर कब्जा निम्नानुसार है-

(क) वादी राजेन्द्रसिंह शेखावत - चक 6 के.डी.डी. के प0नं0 115/2 के किला नं0 24 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा व किला नं0 25 की 0.126 है0 दक्षिणी पासा कुल- 0.253 है0 व चक 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प0नं0 115/10 के किला नं0 21 की 0.127 है0 दक्षिणी पासा




सहायक वकील
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

की व किला नं० 22 की 0.126 है० दक्षिणी पासा की कुल- 0.253 है० तहसील रावतसर की भूमि
(ख) प्रतिवादी नं० 1 ता 5 के हिस्से में चक 6 के.डी.डी. के प०नं० 115/2 के किला नं० 16 ता 18 की 0.759 है० 23 की 0.253 है० 24 की 0.126 है० उत्तरी पासा की, 25 की 0.127 है० उत्तरी पासा की कुल- 1.265 है० व चक नं० 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प०नं० 115/10 के किला नं० 11 की 0.240 है० 12-13 की 0.506 है० 18 ता 20 की 0.759 है० 21 की 0.126 है० उत्तरी पासा की 22 की 0.127 है० उत्तरी पासा की कुल- 1.758 है० भूमि।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्यों तथा तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा प्रस्तुत मौकास्थिति रिपोर्ट आदि के आधार पर वाद वादी डिकी करते हुए घोषणा कि जाती है कि आराजी जरई चक 6 के.डी.डी. के प०नं० 115/2 के किला नं० 24 की 0.127 है० दक्षिणी पासा व किला नं० 25 की 0.126 है० दक्षिणी पासा कुल- 0.253 है० व चक 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प०नं० 115/10 के किला नं० 21 की 0.127 है० दक्षिणी पासा की व किला नं० 22 की 0.126 है० दक्षिणी पासा की कुल- 0.253 है० तहसील रावतसर का वादी राजेन्द्रसिंह शेखावत खातेदार काश्तकार है तथा आराजी जरई चक 6 के.डी.डी. के प०नं० 115/2 के किला नं० 16ता 18 की 0.759 है० 23 की 0.253 है० 24 की 0.126 है० उत्तरी पासा की, 25 की 0.127 है० उत्तरी पासा की कुल- 1.265 है० तहसील रावतसर जिसमें से प्रतिवादी सं० 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं० 2 सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.354 है० के व प्रतिवादी सं० 3 सकीना 0.303 है. की, प्रतिवादी सं० 4/1 ता 4/9 ब.हि.ब. 0.304 है. के, प्रतिवादी सं० 5 सावां 0.304 है० की व चक नं० 21 एन.डब्ल्यू.डी. के प०नं० 115/10 के किला नं० 11/1 की 0.240 है० 12-13 की 0.506 है० 18ता 20 की 0.759 है० 21 की 0.126 है० उत्तरी पासा की 22 की 0.127 है० उत्तरी पासा की कुल- 1.758 है० तहसील रावतसर जिसमें प्रतिवादी सं० 1 अम्मी खां व प्रतिवादी सं० 2 सखी मोहम्मद की ब हिस्सा बराबर 0.551 है० व प्रतिवादी सं० 3 सकीना 0.402 है. की, प्रतिवादी सं० 4/1 ता 4/9 ब.हि.ब. 0.403 है. के, प्रतिवादी सं० 5 सावां 0.402 है० तहसील रावतसर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 3/11/2019 को सुनाया गया।


(बनवारीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

